

राजकीय डिग्री कॉलेज बरोटीवाला (सोलन) एच.पी.  
सं. - कैंटीन/2024/- ३४५ ईंड्रु चंडी डी.पी. बीटी टेक्नू

प्रिंसिपल का कार्यालय,  
राजकीय डिग्री कॉलेज बरोटीवाला (सोलन) एच.पी.

दिनांक: 13/06/2024.

### शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कॉलेज कैंटीन के लिए लघु निविदा सूचना

राजकीय डिग्री कॉलेज बरोटीवाला, सोलन (एच.पी.) का कार्यालय अपने परिसर में कैंटीन सुविधा चलाने के लिए इच्छुक एजेंसियों/पार्टियों से सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित करता है, जिसका निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है। विधिवत भरा हुआ निविदा दस्तावेज़/प्रोफॉर्मा 04 जुलाई 2024 को शाम 05.00 बजे तक प्रिंसिपल के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। निविदा दस्तावेज़/टेंडर प्रोफॉर्मा कॉलेज कार्यालय से एकत्र किया जा सकता है या कॉलेज की वेबसाइट <https://www.gcbarotiwala.edu.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रोफॉर्मा के अलावा किसी अन्य प्राप्त बोलियाँ अस्वीकार कर दी जाएँगी। बोली के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़:

- 1) निविदा प्रपत्र
- 2) अर्नेस्ट मनी की रसीद रु. 1000/-
- 3) बोलीदाता का आधार कार्ड
- 4) खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा FSS अधिनियम 2006 या स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के तहत जारी अनुभव प्रमाण पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र।

चिपकाई जाने वाली प्रतिलिपि:

1. बरोटीवाला बस स्टैंड
2. बद्दी बस स्टैंड
3. तहसील कार्यालय
4. बरोटीवाला पंचायत घर/बाजार
5. कॉलेज नोटिस बोर्ड
6. कॉलेज मुख्य द्वार
7. कॉलेज वेबसाइट
8. गार्ड फाइल

*Sunapana S. Pathak*  
प्राचार्य  
राजकीय डिग्री कॉलेज बरोटीवाला  
(सोलन) हिमाचल प्रदेश

## नियम एवं शर्तें

(1) अनुबंध एक शैक्षणिक सत्र के लिए पट्टे पर होगा, लेकिन कॉलेज कैंटीन समिति की सिफारिश के अधीन एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। साथ ही नियम एवं शर्तों में बदलाव और संशोधन किया जा सकता है।

(2) ठेकेदार कर्मचारियों/छात्रों से देय भुगतान के संग्रह के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

(3) ठेकेदार को 1000/- रुपये मासिक किराया + 300/- रुपये प्रति माह पानी का शुल्क जमा करना होगा। बिजली का भुगतान ठेकेदार द्वारा कैंटीन के लिए प्राप्त बिल के आधार पर किया जाएगा, जिसमें अलग मीटर है। स्वीकृत किराया हर महीने की 7 तारीख तक भुगतान किया जाना चाहिए, अन्यथा मामले को तुरंत कैंटीन समिति के समक्ष आगे के निर्णय के लिए रखा जाएगा। हालांकि, छुट्टियों यानी गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों के लिए कोई मासिक किराया नहीं लिया जाएगा।

(4) ठेकेदार को कैंटीन पर कब्जा लेने से पहले 5000/- रुपये की सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) जमा करनी होगी।

(5) ठेकेदार के पास पर्याप्त स्टाफ और उपकरण होने चाहिए।

(6) कैंटीन में किसी भी चोरी के लिए कॉलेज जिम्मेदार नहीं होगा। कैंटीन की सुरक्षा और संरक्षा ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

(7) कैंटीन में किसी भी शराब या तंबाकू उत्पाद को बेचने, परोसने या सेवन करने की अनुमति नहीं है। चूक/उल्लंघन की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

(8) कैंटीन में अनुशासन बनाए रखने के साथ-साथ इसकी साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

(9) कैंटीन में विभिन्न वस्तुओं की स्वीकृत दरें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएंगी। अधिक कीमत वसूलने पर अनुबंध रद्द किया जाएगा या कैंटीन समिति द्वारा तथ्य जुर्माना लगाया जाएगा।

(10) कैंटीन में परोसी जाने वाली सभी वस्तुओं की गुणवत्ता की निगरानी और अनुमोदन कॉलेज की कैंटीन समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

(11) कॉलेज के कर्मचारी और छात्र निविदा भरने के लिए पात्र नहीं हैं।

(12) 1000/- रुपये की बयाना राशि कॉलेज के शुल्क कलर्क के पास जमा की जाएगी और रसीद निविदा बोली के साथ संलग्न की जाएगी। यदि निविदा स्वीकार नहीं की जाती है तो यह राशि वापस कर दी जाएगी तथा आवंटी के किराए में समायोजित कर दी जाएगी, तथापि यदि आवंटी समय पर कैंटीन चलाने में विफल रहता है तो यह शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

(13) समिति बोलीदाता को कोई कारण बताए बिना किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

(14) उद्धृत वस्तुओं की दरें केवल रूपए में होनी चाहिए।

(15) ठेकेदार और उसके कर्मचारियों के बीच किसी भी विवाद के लिए कॉलेज जिम्मेदार नहीं होगा।

(16) बाल श्रम कानून के अनुसार ठेकेदार को कैंटीन में किसी भी बच्चे को काम पर नहीं रखना चाहिए।

(17) कैंटीन केवल कॉलेज के छात्रों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए होगी। ठेकेदार द्वारा बाहरी लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्यथा अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा।

(18) ठेकेदार को महत्वपूर्ण अवसरों पर संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

(19) ठेकेदार को कैंटीन में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के आधार कार्ड और विकित्सा प्राधिकरण से मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(20) ठेकेदार (सफल बोलीदाता) को अनुबंध दिए जाने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर कैंटीन सेवाएं चलानी होंगी, अन्यथा अनुबंध या तो समाप्त कर दिया जाएगा या अगले न्यूनतम बोलीदाता को दे दिया जाएगा।

(21) आवेदक को सभी कर्मचारियों का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। साथ ही बोलीदाता के पास एफएसएस अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) या स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियम विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुभव प्रमाण पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, अन्यथा बोली खारिज कर दी जाएगी।

(22) कैंटीन स्टाफ के किसी भी सदस्य को कॉलेज परिसर में रात के लिए रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(23) अनुमोदित ठेकेदार आवश्यकतानुसार कॉलेज के कर्मचारियों को (केवल परिसर के भीतर) कमरे की सेवाएं प्रदान करेगा।

(24) खाना पकाने के लिए, केवल वाणिज्यिक सिलेंडर का उपयोग किया जाएगा, कोयले, हीटर और इंडक्शन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(25) लाइसेंसधारी द्वारा कैंटीन को प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रखा जाएगा। रविवार, राजपत्रित अवकाश और छुट्टियों को छोड़कर

(26) स्वीकृत ठेकेदार को आवंटित कैंटीन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए परिसर का उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। किसी अन्य प्रकार के व्यवसाय, दीवारों पर विज्ञापन की अनुमति नहीं होगी।

(27) कटिंग/ओवरराइटिंग वाली निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

(28) ठेकेदार को कैंटीन को किसी को भी किराए पर देने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी भी समय यह प्राधिकरण के संज्ञान में आता है, तो अनुबंध तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।

(29) कैंटीन कर्मचारियों को किसी भी चोट और दुर्घटना की स्थिति में, और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में, भुगतान/मुआवजे की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

(30) ठेकेदार को प्रिंसिपल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बरोटीवाला (सोलन) एच.पी. के साथ 100/- रुपये के गैर-न्यायिक कागज पर एक समझौता करना होगा। समझौते के निष्पादन के बाद ही कैंटीन का कब्जा सौंपा जाएगा।

कॉलेज कैंटीन समिति

1. डॉ. कृष्णप्रकाश (संयोजक) *K. Dhalan*

2. डॉ. शालिनी धर्माणी

3. प्रो. विशेशर लाल *W.L.*

4. सुश्री शैली महाजन (कार्यालय अधीक्षक) *Shally*

*Dimpama S. Pathak*  
प्राचार्य  
जी.सी. बरोटीवाला

प्रिसिपल कार्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, बरोटीवाला (सोलन) हिमाचल प्रदेश से।

कॉलेज में कैंटीन सुविधाएं प्रदान करने और निम्नलिखित वस्तुओं के लिए दरें उद्धृत करने के लिए खाद्य लाइसेंस रखने वाले अनुभवी कैंटीन ठेकेदार से प्रस्ताव/निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क्रमांक	वस्तु	मात्रा	कीमत रुपये में।
1	पकौड़ा (शाकाहारी)	1 किलोग्राम	
	पकौड़ा पनीर	1 किलोग्राम	
2	पैटी	प्रति पीस	
3	कटलेट	170 ग्राम	
4	बेसन बर्फी	1 किलोग्राम	
5	चना भट्ठा	दो बहतूरा + चना	
6	चपाती	प्रति पीस 35 ग्राम	
7	दही	आधी प्लेट 100 ग्राम	
8	दही	पूरी प्लेट 200 ग्राम	
9	ब्रेड बटर	प्रति दो पीस	
10	ब्रेड जैम	प्रति दो पीस	
11	ताजा जूस	300 एमएल	
12	ब्रेड स्लाइस	प्रति पीस	
13	वेज सैंडविच	प्रति पीस	
14	वेज। बर्गर	प्रति पीस	
15	चाय	100 मिली	
16	कॉफी	100 मिली.	
17	परांठा (आलू)	175 ग्राम	
18	परांठा (गोबी)	175 ग्राम	
19	परांठा (मूली)	175 ग्राम	
20	परांठा (पनीर)	175 ग्राम	
21	समोसा	1 पीस	
22	ब्रेड पकौड़ा	1 पीस	
23	चावल राजमा/करी/चना(काबुली) के साथ	हाफ प्लेट	
24	चावल राजमा/करी/चना(काबुली) के साथ	फुल प्लेट	
25	मिक्स वेजिटेबल/दाल/चावल/तीन चपाती	प्रति प्लेट	

महत्वपूर्ण: दरें बताने से पहले पार्टियों को नियम और शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए।

\*बिस्कुट, नमकीन, कोल्ड-ड्रिंक, चिप्स आदि सभी पैक किए गए आइटमों पर एमआरपी से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। कैंटीन कॉलेज के लगभग 400/- छात्रों और कर्मचारियों को सेवा प्रदान करेगी। कॉलेज द्वारा आवश्यक स्थान और फर्नीचर के साथ बुनियादी ढांचे प्रदान किए जाएंगे।

\*इच्छुक पार्टियों/व्यक्तियों को 04 जुलाई 2024 को शाम 05:00 बजे तक 1000/- रुपये की बयाना राशि के साथ निविदा प्रोफार्मा में सीलबंद निविदाएं भेजनी चाहिए। इच्छुक पार्टियां निविदा खुलने के समय यानी 15 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे उपस्थित रह सकती हैं।

\*सफल बोलीदाता को जुलाई, 2024 में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से कैंटीन सेवाएं शुरू करनी होंगी और उसी के अनुसार मासिक किराया लिया जाएगा। निर्धारित समय के भीतर कैंटीन सेवाएं शुरू करने में विफल रहने पर अनुबंध अगले सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया जाएगा। प्रिसिपल राजकीय डिग्री कॉलेज बरोटीवाला (सोलन) एच.पी.

*Suman S. Pather*  
प्राचाय

राजकीय डिग्री कॉलेज बरोटीवाला  
(सोलन) हिमाचल प्रदेश

## निविदा प्रपत्र

सेवा में

प्राचार्य, राजकीय डिग्री कॉलेज बरोटीवाला  
(सोलन) हिमाचल प्रदेश

प्रिय महोदया,

1. मैं/हम इसके द्वारा .....  
के लिए अपनी निविदा प्रस्तुत करते हैं।
2. मैं/हम इसके साथ रसीद संख्या/..... संलग्न कर रहे हैं, दिनांक ..... रुपये 1,000/- (एक हजार रुपये) अर्नेस्ट मनी (ईएम) के लिए, केवल प्राचार्य, राजकीय कॉलेज सोलन के पक्ष में। (अर्नेस्ट मनी के बिना निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी)।
3. मैंने/हमने निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने से पहले सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है।
4. मैं/हम इस संबंध में राजकीय कॉलेज बरोटीवाला, हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों से सहमत हैं।
5. मैंने/हमने नोट किया है कि ओवरराइट की गई प्रविष्टियों को तब तक अस्वीकार कर दिया जाएगा जब तक कि उन्हें विधिवत रूप से काटा और पुनः लिखा न जाए और उन पर हस्ताक्षर न किए जाएं।
6. यदि मुझे/हमें 5 दिनों के भीतर अनुबंध प्रदान किया जाता है तो मैं/हम सुरक्षा राशि के रूप में 5000/- रुपये (वापसी योग्य) जमा करने के लिए तैयार हैं।
7. निविदा विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए (अंगूठे का निशान नहीं लगाया जाना चाहिए)।
8. मैं/हम स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि से 05 (पांच दिन) के भीतर, यदि आवश्यक हो, अनुबंध/समझौते पर हस्ताक्षर करने का वचन देते हैं, ऐसा न करने पर जमा की गई हमारी/मेरी सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है।
9. उल्लिखित सभी दरें सभी मामलों में पूर्ण और अंतिम हैं और सभी लागू कराँ सहित हैं।
10. मैंने/हमने आधार कार्ड की एक प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र और एफएसएस अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) या स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग हिमाचल प्रदेश से प्रमाण पत्र जमा किया है।

11. मैंने प्रिंसिपल, सरकारी कार्यालय द्वारा आपूर्ति किए गए प्रोफार्मा के अनुसार दरें उद्धृत की हैं। कॉलेज बरोटीवाला (सोलन)

क्रमांक	वस्तु	मात्रा	कीमत रुपये में।
1	पकौड़ा (शाकाहारी)	1 किलोग्राम	
	पकौड़ा पनीर	1 किलोग्राम	
2	पैटी	प्रति पीस	
3	कटलेट	170 ग्राम	
4	बेसन बर्फी	1 किलोग्राम	
5	चना भट्ठा	दो बहतूरा + चना	
6	चपाती	प्रति पीस 35 ग्राम	
7	दही	आधी प्लेट 100 ग्राम	
8	दही	पूरी प्लेट 200 ग्राम	
9	ब्रेड बटर	प्रति दो पीस	
10	ब्रेड जैम	प्रति दो पीस	
11	ताजा जूस	300 एमएल	
12	ब्रेड स्लाइस	प्रति पीस	
13	वेज सैंडविच	प्रति पीस	
14	वेज। बर्गर	प्रति पीस	
15	चाय	100 मिली	
16	कॉफी	100 मिली.	
17	परांठा (आलू)	175 ग्राम	
18	परांठा (गोबी)	175 ग्राम	
19	परांठा (मूली)	175 ग्राम	
20	परांठा (पनीर)	175 ग्राम	
21	समोसा	1 पीस	
22	ब्रेड पकौड़ा	1 पीस	
23	चावल राजमा/करी/चना(काबुली) के साथ	हाफ प्लेट	
24	चावल राजमा/करी/चना(काबुली) के साथ	फुल प्लेट	
25	मिक्स वेजिटेबल/दाल/चावल/तीन चपाती	प्रति प्लेट	

संबंधित दस्तावेज संलग्न हैं

Aadhar  
Card

Experience  
Certificate

Registration  
Certificate

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर और पूरा

स्थायी पता:

.....  
.....